समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, बोकारो।

अधिहरण वाद संख्या–34/2019–20
जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो (राज्य)
–बनाम्–
राजेश साहनी
–::आदेश::–

21.03.2022 अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख एवं उसमें संलग्न कागजातों का अवलोकन किया गया। जिला खनन पदाधिकारी–सह–अधियाचना पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0–02/2020, दिनांक–03.02.2020 के द्वारा सूचित किया गया है कि जरीडीह थाना कांड सं0–121/2019, दिनांक–21.08.2019, धारा–414/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत जप्त टाटा मैजिक वाहन नं0 JH09J-2910 एवं उस पर लदे करीब 1 क्विंटल कोयला खनिज को अवैध रूप से परिवहन करने के आरोप में वाहन मालिक राजेश साहनी पिता स्व0 बादल साहनी सा0–सोनाटाँड़ थाना–माराफारी जिला बोकारो के विरूद्ध दर्ज किया गया है। फलस्वरूप The Jharkhand Minerals (Prevention of illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2017 के तहत राज्यसात की कार्रवाई करने हेतु यह वाद दायर किया गया है।

उक्त के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो की ओर से विज्ञ सहायक लोक अभियोजक, बोकारो को सुना गया। विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित रहे।

राज्य सरकार की ओर से विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा दलील दिया गया कि दिनांक–21.08.2019 को पुलिस को गुप्त सूचना मिला की तुपकाडीह की ओर से एक लाल रंग का टाटा मैजिक वाहन सं0–JH09J-2910 में अवैध रूप से 5 (पाँच) बोरा कोयला लेकर जैनामोड़ की ओर कहीं जा रहा है। इस सूचना पर वरीय पदाधिकारी को सूचित करते हुए स0अ0नि0 सशस्त्र बल के साथ सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु खुटरी चौक के पास पहुँचा तो देखा कि एक लाल रंग का टाटा मैजिक वाहन सं0–JH09J-2910 वहाँ आया जिसे सशस्त्र बल के सहयोग रोका गया तो पाया कि उक्त वाहन में पाँच बोरा अवैध कोयला लदा पाया गया। चालक से वैध कागजात की माँग किये जाने पर कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया जा सका। तत्पश्चात प्रश्नगत वाहन एवं उस पर लदा कोयला को विधिवत रूप से जप्ती सूची बनाकर जप्त किया

गया। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि विपक्षी के द्वारा अवैध तरीके से कोयला को कालाबजारी करने के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में अवैध रूप से कोयले का खनन/परिवहन के आरोप में Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के अन्तर्गत विपक्षी को किसी प्रकार की छुट नहीं दी जा सकती है।

विपक्षी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा में उल्लेख किया गया है कि वाहन पर राज्यसात करने के लिए की गई कार्यवाही बिल्कुल ही तथ्यों से परे, गैर कानूनी एवं पोषणीय नहीं है। विपक्षी को गलत तरीके से इस वाद में फँसाया गया है। उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत कोयला सड़क के किनारे गिरा हुआ था। वाहन चालक वाहन से सवारी उतारने के लिए जब वहाँ रूका तो उसी समय पुलिस आकर उनको बिना कुछ सुने पकड़ ली और थाना ले आई। विपक्षी के पास वाहन से संबंधित वैध कागजात मौजूद है। जप्त कोयला से उनका कोई संबंध नहीं है। अंत में उनके द्वारा दाखिल कारण पृच्छा को स्वीकारने एवं राज्यसात की कार्यवाही को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

वर्णित परिस्थिति में विद्वान सहायक लोक अभियोजक की दलील, दाखिल कारण पृच्छा एवं अभिलेख में संधारित कागजातों के अवलोकन के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि याचिकाकर्त्ता के पास, कोयले से संबंधित कोई वैध कागजात मौजूद नहीं था। प्रश्नगत कोयला विपक्षी के टाटा मैजिक वाहन सं0-JH09J-2910 से जप्त किया गया है। जिससे प्रतीत होता है कि उनके द्वारा अवैध तरीके से कोयला को कालाबजारी करने के उद्देश्य से परिवहन किया जा रहा था, जो संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उनकी ओर से दाखिल कारण पृच्छा का कोई ठोस आधार नहीं है। विपक्षी को अपना पक्ष रखने का अन्तिम अवसर प्रदान किये जाने के बाद भी वह सुनवाई के दौरान पुकार पर अनुपस्थित पाये गए, जिससे स्पष्ट है कि उन्हें अपने बचाव में और कुछ भी नहीं कहना है।

फलस्वरूप जिला खनन पदाधिकारी, बोकारो के अधियाचना सं0-02/2020, दिनांक-03.02.2020 को स्वीकृत करते हुए The Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storge) Rules, 2017 के उल्लंघन के आरोप में जरीडीह थाना कांड

सं0–121/2019, दिनांक–21.08.2019,के अन्तर्गत जप्त टाटा मैजिक वाहन नं0 JH09J-2910 एवं उस पर लदे करीब 1 क्विंटल कोयला को राज्य सरकार के हित में राज्यसात किया जाता है एवं वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

तद्नुसार संबधित को सूचित करें।

लेखापित एवं संशोधित।

21.3.2022

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी
बोकारो।

21.3.2022

समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी,
बोकारो।

Digitally signed by VIJAYA NARAYANRAO JADHAV
Date: 2025.01.18 15:28:17 +05:30
Location: 192.168.249.234